UPRB010065792022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–**सतीश कुमार त्रिपाठी,**

(उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP1537

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–3084/2022

1–दुख हरन पुत्र पतई लोध,

2–लल्लन उर्फ राज किशोर पुत्र दुखहरन,

3–हेमराज पुत्र शंकर लोध,

4–गुदुल्ले उर्फ अमरेन्द्र पुत्र राम शंकर,

निवासीगण–मदूदपुर, थाना–लालगंज, जिला–रायबरेली।

..... प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य उ०प्र० द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रायबरेली। .....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–520/2019

धारा–147, 323, 504, 506, 308 भा०दं०सं० व

धारा–3(1) द, ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट,

थाना –लालगंज, जिला रायबरेली।

दिनांक–24.01.2023

प्रार्थी/अभियुक्तगण– **दुख हरन पुत्र पतई लोध, लल्लन उर्फ राज किशोर पुत्र दुखहरन, हेमराज पुत्र शंकर लोध, गुदुल्ले उर्फ अमरेन्द्र पुत्र राम शंकर ,** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र मुकदमा अपराध संख्या–520/2019, धारा–147, 323, 504, 506, 308 भा०दं०सं० व धारा–3(1)द, ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना–लालगंज, जिला–रायबरेली के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय सत्र लिपिक की आख्या के अनुसार अपराध संख्या–520/2019, धारा–147, 323, 504, 506, 308 भा०दं०सं० व धारा–3(1)द, ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना–लालगंज, जिला–रायबरेली के मामले में अभियुक्तगण **दुख हरन पुत्र पतई लोध, लल्लन उर्फ राज किशोर पुत्र दुखहरन, हेमराज पुत्र शंकर लोध, गुदुल्ले उर्फ अमरेन्द्र पुत्र राम शंकर** का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, साथ ही कोर्ट मोहर्रिर द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी है कि

अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन किया।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा वादी मुकदमा को अन्तर्गत धारा 15A(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 सूचित किया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक–17.10.2019 को 8 बजे सुबह अभियुक्तगण वादिनी की ननद को खींच ले गये वादिनी ने मना किया तो उसे लाठी से मारा दुखहरन ने ललकारा कोई बचने न पावे सबको मारा सोनी को व मोनी को थप्पड़ व लात घूसों से मारा, वादिनी के पति को दुखहर ने कहा कि इसको जान से खतम करे दो जो लगेगा लगा दूंगा।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र व संलग्न शपथपत्र में उल्लिखित कथन के आधार पर मुख्य रूप से निवेदन किया है कि अभियुक्तगण का उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था के अनुसार **सतेन्द्र कुमार अन्टिल नाम सेन्ट्रल ब्यूरो आंफ इन्वेस्टीगेशन एण्ड एनअदर (2021) 10 एस०सी०सी० 773, सिद्धार्थ बनाम द स्टेट आंफ उत्तर प्रदेश एण्ड एनअदर 2022 (1) एस०सी०सी० 676 एण्ड अमन प्रीत सिंह बनाम सी०बी०आई० थ्रू डायरेक्टर 2021 एस०सी०सी० आनलाइन 941 में** दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किये जाने की याचना करते हैं। प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के साथ कोई मारपीट नहीं की है, न किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की है, न उसे मारा पीटा है और न उसे गाली गलौज कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर जान से मार देने की धमकी नहीं दिया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण को महज गांव की पार्टीबंदी के कारण वादी मुकदमा से सांठ गांठ कर उसे शासन द्वारा प्रदत्य आर्थिक दिलाने के उद्देश्य से तथा प्रार्थी/अभियुक्तगण को महज प्रधानी चुनावी रंजिश के कारण उक्त मामले में फर्जी फंसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना के पश्चात स्थानीय पुलिस द्वारा –41(ए) सी०आर०पी०सी० की नोटिस के बाद विवेचक को विवेचना में पूर्ण सहयोग किया है, जिसके उपरान्त विवेचक द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया गया है तथा अभियुक्तगण को विवेचक द्वारा उपरोक्त मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया था। प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा किसी अन्य जनपद न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है न ही विचाराधीन है, न ही स्वीकृत किया गया है न ही निरस्त किया गया है। वाद उपरोक्त में प्रार्थी/अभियुक्तगण अपनी जमनते देने को तैयार है। उसका वह दुरूपयोग नहीं करेंगे एवं माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करेंगे एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे। दौरान विचारण प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत मुचलके पर रिहा करने की कृपा की जाय।

इन एवं अन्य आधारों पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने जमानत पर मुक्त करने के लिए

निवेदन किया गया है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया है और प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने का कथन किया है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक/वादी मुकदमा की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण प्रश्नगत विधि व्यवस्था का लाभ पाने के अधिकारी नहीं हैं और न ही जमानत प्रार्थनापत्र बिना अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिये स्वीकार किये जाने योग्य है और खारिज किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम सी०बी०आई० व अन्य** में जमानत दिये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किया गया है और समस्त अपराधों को चार कैटेगरी में विभाजित किया गया है और यह आवश्यक शर्त होना बताया है कि दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी न हुई हो और अभियुक्तगणों द्वारा विवेचनाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर विवेचना में पूर्ण सहयोग किया गया हो। इन दोनों आवश्यक शर्तों के पूर्ण होने के उपरान्त, **"कैटेगरी ए"** जिसमें उन अपराधों को शामिल किया गया है, जिसमें अधिकतम दण्डादेश 7 वर्ष या उससे कम की हो, के मामले में बिना अभियुक्तगणों को अभिरक्षा में लिये हुए उनके जमानत आवेदनपत्र का निस्तारण किया जाना चाहिए।

इस प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा– 147, 323, 504, 506, 308 भा०दं०सं० व धारा–3(1)द, ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट प्रस्तुत किया गया है। इन अपराधों के लिए अधिकतम कारावास 7 वर्ष तक की अवधि का है। अतः अभियुक्तगण का अपराध माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा परिभाषित **"कैटेगरी ए"** के अन्तर्गत आता है। माननीय उच्तम न्यायालय द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देशों के आलोक में थाने से आख्या आहूत किया गया। थाना आख्यानुसार अभियुक्तगण द्वारा विवेचना में पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया है और उन्हें दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस प्रकार अ अभियुक्तगण द्वारा आवश्यक शर्तों का पालन भी पूर्ण रूप से किया गया है।

प्रकरण में विवेचना समाप्त हो चुकी है तथा आरोप –पत्र प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन का ऐसा कोई कथन नहीं है कि अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने पर उसके द्वारा गवाहों को प्रभावित किये जाने की सम्भावना है।

उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत तथा **माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम सी०बी०आई० व अन्य** के प्रकाश में तथा अभियोजन कथानक, अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक के तर्को, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, गम्भीरता तथा अभियुक्तगण की भूमिका एवं दण्ड की कठोरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये, अभियुक्तगण उपरोक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **दुख हरन पुत्र पतई लोध, लल्लन उर्फ राज किशोर पुत्र दुखहरन, हेमराज पुत्र शंकर लोध, गुदुल्ले उर्फ अमरेन्द्र पुत्र राम शंकर** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–520/2019, धारा–147, 323, 504, 506, 308 भा०दं०सं० व धारा–3(1)द, ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना–लालगंज, जिला–रायबरेली के मामले में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त अपराध में **पचास हजार रूपये** का निजी बन्धपत्र एवं उसी धनराशि की दो जमानतें और इस आशय का अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर कि

1– वह अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगे व गवाहों को डरायेगे, धमकायेगे नहीं।

2–जमानत पर रिहा होने के उपरान्त किसी अपराधिक गतिविधियों में या अन्य अपराध कारित करने में सम्मिलित नहीं होगे।

3–वह मुकदमें के शीघ्र निस्तारण में सहयोग करेगें और साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर जब साक्षीगण न्यायालय उपस्थित हो, स्थगन नहीं लेगे।

4–वे अभियोजन द्वारा अभियोजन प्रारम्भ करने की तिथि पर, आरोप विरचित किये जाने की तिथि पर तथा धारा 313 दं०प्र०सं० का बयान अभिलिखित किये जाने की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से या जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगे।

5–दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 की उप धारा 1 के अधीन प्रकाशित किसी उद्घघोषणा की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान व विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होने पर असफल रहने पर उसके विरूद्ध धारा 174 क भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

6–जमानत या बन्धपत्र पत्र की निबन्धनों के अनुसार न्यायालय में पर्याप्त कारणों के बिना हाजिर होने में असफल होने पर उसके विरूद्ध धारा 229 क भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जा सकेगी, जमानत पर रिहा किया जाये।

(सतीश कुमार त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
रायबरेली।

आशुलिपिक
सत्य प्रकाश यादव

Digitally signed by Satish Kumar Tripathi
Date: 2023.01.25 10:36:38 IST
Reason: Bail Application Allowed
Location: District and Sessions Court, Raebareli.